पत्र संख्या : 7ब/2702गै०यो०ज०सं०–44/2012,- 100

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची।

राँची, दिनांक: 22-8-12

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बजट मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष–2702 लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–02 भू–जल, लघु शीर्ष–005 अन्वेषण, के अंतर्गत लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के कार्यभारित/श्रमपुस्त कर्मचारियों के भुगतान हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **2702–लघु सिंचाई** के अंतर्गत निम्नरूपेण में दर्शाये गये विभिन्न लघु शीर्षों/उप शीर्षों के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	**मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष**	**लघु शीर्ष/उप शीर्ष**	**विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड़**	**मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र**
1	2	3	4	5
1.	**50/2702**–लघु सिंचाई/02–भू जल/005– अन्वेषण	02 – उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण / 01 – वेतन एवं भत्ते 11 कार्यभारित / श्रमपुस्तों को वेतन	50N270202005020111	लघु सिंचाई, राँची

प्रमंडल का नाम	**कार्य का नाम**	**आवंटित राशि (लाख ₹ में)**	**अभियुक्ति**
6	7	8	9
लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची।	कार्यभारित/श्रमपुस्तों को वेतन।	**1.85510**	केस सं०–WP(S)No-700/2009 में पारित न्याय निर्णय तथा अवमाननावाद सं० – 05–2012 के क्रम में श्री नन्द किशोर राय, पम्प ऑपरेटर के बकाया भुगतान हेतु।

कुल आवंटित राशि – ₹ एक लाख पचासी हजार पाँच सौ दस मात्र।

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012–2013 के बजट शीर्ष–2702–02–005 के अन्तर्गत उपशीर्ष–02–उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण मद के **उपबंध ₹ 171.21 लाख** (₹ एक करोड़ एकहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(जयप्रकाश भट्टाचार्या) उप सचिव (अभि॰)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	(बी॰ सी॰ निगम) विशेष सचिव

5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

6. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

8. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह **आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी** उपल**ब्ध है।**

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 100 रॉंची, दिनांक :– 22-8-12

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 100 रॉंची, दिनांक :– 22-8-12

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉंची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉंच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओंकार नाथ)	(जयप्रकाश भट्टाचार्या)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	**(एस॰ के॰ शतपथी)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	सयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	**प्रधान सचिव**